आवश्यक
स्मरण पत्र–11
समयवद्ध

संख्या : शिक्षा (प्रा0)एच0 (4)3–10 / 2016
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला– 171001 नवम्वर, 2016

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि0प्र0)
08 NOV 2016
शिमला - 1

प्रेषित :–

1. समस्त उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त उप शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश ।

विषय :– "महात्मा गाँधी वर्दी योजना" एवम् "मुख्या मन्त्री वर्दी योजना"2016–17 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से बारहवीं के लड़को तथा लड़कियों की वर्दियों की आपूर्ति वारे ।

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय द्वारा जारी सम संख्यक पत्र दिनांक 28–06–2016 और 23–09–2016 का कम जारी रखते हुऐ आप इस सन्दर्भ में निम्नलिखित बाते प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें :–

- "महात्मा गाँधी वर्दी योजना" एवम् "मुख्या मन्त्री वर्दी योजना"2016–17 के अर्न्तगत समस्त वर्दियों की आपूर्ति सम्बन्धित फर्म द्वारा लगभग पूर्ण कर ली गई है । अतः आप प्रदेश की सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे कक्षा पहली से बारहवी के सभी छात्र / छात्राओं को दो–2 वर्दियों के सैट (set), तथा कक्षा पहली से दसवी के सभी छात्र / छात्राओं को वर्दियों के साथ–2 मु0 200 / – रूपये प्रति छात्र / छात्रा (100 / –प्रति वर्दी के सैट के हिसाव से) सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सिलाई की धनराशि प्रदान करवाना भी सुनिश्चित करे (जो धनराशि अगस्त, 2016 को बैंक खातो में डाल दी गई है) तथा इस आश्य का (Indenting officers wise) प्रमाण पत्र इस निदेशालय को भेजे, कि आपके जिले में सभी छात्र / छात्राओं जो सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे है, को दो–2 वर्दीयों के सैट प्रदान कर दी गई है। यदि कोई विद्यार्थी (छात्र / छात्रा) सरकार द्वारा प्रदान की जा रही निःशुल्क दो–2 वर्दियों के सैटस से वंचित रहते है या उन्हे उक्त सुविधा नियमानुसार उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो इस स्थिति में कौताही करने वाले अधिकारी एवम् कर्मचारी के विरूद्ध सख्त एवम् कडी कार्यवाही अमल में लाई जएगी।
- प्रत्येक प्रात्तकर्ता अधिकारी (Indenting officers i.e. BEEOs/GSSS Principals) वर्दियों की लैब टैस्टिंग हेतू वर्दियों के चार अलग–अलग पैकट, जिसमें दो अलग–अलग लड़को के सैट तथा दो अलग–अलग लडकियों के सैटों को चार अलग–अलग सीलड पैकेट(sealed packet) में बन्द करके हस्ताक्षर एवं मोहर सहित नमूनें (random samples) प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ब्लाक न0 16–17, एस.डी.ए. कमर्शियल कम्पलैक्स कसुम्पटी, शिमला–171009, के कार्यालय में शीघ्र उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

- सभी जिला उप–निदेशक प्रा0 / उच्च शिक्षा को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रत्येक प्रात्तकर्ता अधिकारी (Indenting officers i.e. BEEOs/GSSS Principals) से यदि वर्दियों की अतिरिक्त मांग आती है तो यह स्पष्ट करें कि क्या उनके अधीन किसी पाठशाला में नामांकन बढा है इसलिए आप नामांकन के बढने का कारण **अतिरिक्त वर्दियों के सैटस की मांग सहित इस निदेशालय को तीन दिनों के भीतर भेजे** ताकि इस सन्र्दभ में शीध्र अग्रिम कार्यवाही की जा सके यदि यह मांग तीन दिनों के भीतर इस निदेशालय में नहीं पहुचती है (through return FAX)तो सम्वन्धित अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होगें।
- सभी जिला उप–निदेशक प्रा0 / उच्च शिक्षा को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रत्येक प्रात्तकर्ता अधिकारी (Indenting officers i.e. BEEOs/GSSS Principals) को जो नमूने (samples) इस निदेशालय द्वारा उपलब्ध करवाए गऐ थे उन्हे वर्ष 2017–18 के लिए भी अपने कार्याल्य में सुरक्षित रखे। क्योकि वर्ष 2017–18 में भी वर्दियां इन्ही नमूनों (samples) के आधार पर आपूर्ति की जानी है ।
- आपके कार्यालय को “महात्मा गाँधी वर्दी योजना” के अन्तर्गत इस निदेशालय द्वारा पिछले तीन – चार वर्षो में प्राप्त सिलाई के खर्चे की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी एक सप्ताह के भीतर इस निदेशालय को भेजने की कृया करे । पिछले तीन–चार सालों में आपके कार्यालय द्वारा जारी की गई वर्दियों की सिलाई की धनराशि जिसके उपयोगिता प्रमाण पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त हुए है को अपने भी रिकार्ड में रखें।

कृप्या इसे अति आवश्यक और समयवद्ध समझे।

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक नवम्वर, 2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ब्लाक न0 16–17, एस.डी.ए. कमर्शियल कम्पलैक्स कसुम्पटी, शिमला–171009 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वह भी इस सन्दर्भ में अपने अधीनस्थ सभी जिला उप निदेशक उच्च शिक्षा एवम् शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य एवम् प्रमुखों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें ।
4. रक्षक नस्ति।

निदेशक